

## जय प्रकाश कसवां मेमोरियल शिक्षण संस्थान, झुंझुनूं

### नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का विवरण

क.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1	उमेश कसवां	रामदेव सिंह	जीत नगर, झुंझुनूं	अध्यक्ष
2	विजेन्द्र कसवां	तमसुख राम	के.वि. के पिछे, झुंझुनूं	उपाध्यक्ष
3	बिरजू सिंह	झाबर राम	रसोड़ा, झुंझुनूं	मंत्री
4	कमलेश कसवां	राजेश	नयासर, झुंझुनूं	कोषाध्यक्ष
5	विजेन्द्र सिंह	परसाराम	सिरियासर का बास, झुंझुनूं	सदस्य
6	विरेन्द्र नेहरा	हीरालाल	तारा का बास, झुंझुनूं	सदस्य
7	वेद कुमार	रामदेव सिंह	खीवरसर, झुंझुनूं	सदस्य

*Umesh*  
अध्यक्ष

जय प्रकाश कसवां मेमोरियल  
शिक्षण संस्थान, झुंझुनूं

*Kamlesh*  
कोषाध्यक्ष

जय प्रकाश कसवां मेमोरियल  
शिक्षण संस्थान, झुंझुनूं

*Vijendra*  
सदस्य

जय प्रकाश कसवां मेमोरियल  
शिक्षण संस्थान, झुंझुनूं

### कायालय रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत  
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के रजिस्ट्रार  
प्रस्तुत किये गए पत्र जो कायालय की पत्रावली में  
सं.....। . . से 35 तक उपलब्ध हैं जो कि प्रमाणित प्रतियां

नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर .....  
प्रमाणित प्रति दिने की दिनांक 16/11/15  
रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं

15-2/2004-05  
 संतोष फोटो स्टेट, झुन्झुनू : 232826  
 26/21-5

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु

आवेदन-पत्र

जय प्रकाश कर्वा मैमोरियल शिक्षण

प्रमाणित किया गया कि यह वास्तविक है।  
 हस्ताक्षर  
 समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था  
 दि 27-11-06  
 नकल दिनांक 6-12-06  
 नकल देने की तिथि 6-12-06

संघ विधान-पत्र

- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम जयप्रकाश कर्वा मैमोरियल शिक्षण समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
- पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जीतनगर बसन्त विहार झुन्झुनू तथा कार्यक्षेत्र समस्त झुन्झुनू जिला है। तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त झुन्झुनू जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

संस्था उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

- उच्च स्तर की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने हेतु।
  - स्त्री शिक्षा के स्तर को उच्च बनाना।
  - असहाय बच्चों के नैतिक एवं आर्थिक सुधार के लिए प्रयत्न करना।
  - समाज में विद्यमान बुराईयों को दूर करने का प्रयत्न।
  - पर्यावरण सुधार के सन्दर्भ में सम्भावनाएं खोजना।
  - मानवाधिकारों की रक्षा करना।
  - समाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता पैदा करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	डमेश कुमार कर्वा पुत्र रामदेव कर्वा	व्यापार	जीतनगर झुन्झुनू	अध्यक्ष
2.	विजेन्द्र सिंह पुत्र परसाराज	ठेकेदार	मु.पो.-सिरियासर कावास झुन्झुनू	सदस्य
3.	विरेंद्र नेहरा पुत्र हीरालाल	व्यापार	1/47 हाऊसिंग बोर्ड बालोतरा बाडमेर	सदस्य
4.	विरजू सिंह पुत्र शाबरराम	सेवानिवृत्त कर्नल	मु.पो.-रसोड़ा जीमसार झुन्झुनू	मन्त्री
5.	वेद कुमार पुत्र रामदेव	नौकरी	ग्राम-खीरदरसर पोस्ट-चन्दवा, झुन्झुनू	सदस्य
6.	विजेन्द्र कर्वा पुत्र तन्खुवराम	व्यापार	कैन्द्रीय विद्यालय के मुखे झुन्झुनू	उपाध्यक्ष
7.	श्रीमति कमलेश कर्वा पति राजेज	गृहणी	मु.पो.-नयासर झुन्झुनू	कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मन्त्री

कामलेश  
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय, व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में मंजूर होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	उमेश कुमार कस्वा पुत्र रामदेव कस्वा	व्यापार	जीतनगर मुकुन्द	
2.	विजय सिंह पुत्र परसराम	ठेकेदार	मु.पो. सिरियाहर कावास मुकुन्द	विजय
3.	विरेन्द्र मेहरा पुत्र हीरालाल	व्यापार	1/47 हाऊसिंग बोर्ड बालोतरा जाइमेर	Virender
4.	विरजु सिंह पुत्र झावराम	सेवानिवृत्त कर्नल	मु.पो. रसोड़ा भीमसर जिला. मुकुन्द	
5.	वेद कुमार पुत्र रामदेव	नोकरी	गांव. खिरदासर पो. चन्दा जिला. मुकुन्द	
6.	विजय कस्वा पुत्र मनसुख	व्यापार	केन्द्रीय विद्यालय त्रिपिछे मुकुन्द	विजय
7.	श्रीमती कमलेश पति राजेश कस्वा	ग्रहिणी	मु.पो. नयासर मुकुन्द	Kamlesh
8.	करमचन्द पुत्र कानाराम	बौकरी	मु.पो. नयासर जिला. मुकुन्द	करमचन्द
9.	पवन कुलहरी पुत्र दशानन्द सिंह	व्यापार	1/47 हाऊसिंग बोर्ड मुकुन्द	पवन कुमार
10.	मौ. सलीम पुत्र मुस्ताक अली	व्यापार	इन्दिरा नगर मुकुन्द	
11.	रघुवीर सिंह पुत्र विरवलराम	व्यापार	मु.पो. घाटुसरी मुकुन्द	Raghu
12.	मनीराम पुत्र कानाराम	सेवानिवृत्त सैनिक	मु.पो. बुरासर मगरी जिला. मुकुन्द	
13.	सज्जन कुमार पुत्र रामकुमार सिंह	सेवानिवृत्त सैनिक	केन्द्रीय विद्यालय मुकुन्द	सज्जन कुमार
14.	शैवदत्त पुत्र कानाराम	सेवानिवृत्त सैनिक	मु.पो. बुरासर मुकुन्द	
15.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह	व्यापार	1/13 हाऊसिंग बोर्ड मुकुन्द	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

प्रतिष्ठ विद्यालय (मेडिसिन)  
1. हस्ताक्षर  
मुकुन्द  
व्यवसाय/पूर्ण पता  
डॉ. कुन्दन सिंह मील

अध्यक्ष

मन्त्री

बिकिसा बिकारी  
2. हस्ताक्षर  
डॉ. के. बंगनाब  
मुकुन्द

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)  
डॉ. शुभकरान सिंह कालेर

Kamlesh  
कोषाध्यक्ष


संस्था जयप्रकाश कर्वा मैमोरियल शिक्षण समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था


### विधान नियमावली


- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम जयप्रकाश कर्वा मैमोरियल शिक्षण समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।
- पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जीतनगर वसन्त विहार, गुरुकुल राज, रामस्त गुरुकुल जिला है तथा इसका कार्यक्षेत्र रामस्त गुरुकुल जिला क्षेत्र तक सीमित रहेगा।
- संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-
  - उच्च स्तर की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतु।
  - स्त्री शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना।
  - असहाय बच्चों के बौद्धिक एवं आर्थिक सुधार के लिए प्रयत्न करना।
  - समाज में विद्यमान बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न।
  - पर्यावरण सुधार के संदर्भ में सम्भावनाएं खोजना।
  - मानवाधिकारों की रक्षा करना।
  - समाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता पैदा करना।उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।
- सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।
  - संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास कर्तृ हो।
  - बालिग हो।
  - पागल, दिवालिया न हो।
  - संस्था के उद्देश्यों में रुचि आस्था रखते हो।
  - संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
- सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे—
  - संरक्षक
  - विशिष्ट
  - सम्माननीय
  - साधारण(जो लागू न हो उसे काट दें।)
- सदस्यों द्वारा प्रदत्त उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

शुल्क व चन्दा	1. संरक्षक	राशि.....	वार्षिक / आजन्म
	2. विशिष्ट	राशि.....	वार्षिक / आजन्म
	3. सम्माननीय	राशि.....	वार्षिक
	4. साधारण	राशि.....	वार्षिक


उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु.....को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।


  
अध्यक्ष


  
मन्त्री

  
कोषाध्यक्ष

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।  
 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर  
 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर  
 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा बोधी पाये जाने पर  
 उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्माण हेतु बैठक सम्झी जावेगी तथा साधारण सभा का बहुमत का निर्णय अन्ति होगा।
8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।  
 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना।  
 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टी करना।  
 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना  
 (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)
10. साधारण सभा की बैठकें :  
 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।  
 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।  
 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।  
 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेण्डा में थे।  
 5. संस्था के 1/3 कुल सदस्य इनमें जो भी कम हों के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उस वक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।
11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।  
 1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक 3. मन्त्री-एक  
 4. कोषाध्यक्ष-एक 5. सदस्य-तीन  
 (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें)
- इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 चार पदाधिकारी 3 तीन सदस्य कुल 7 सात सदस्य होंगे।
12. कार्यकारिणी की निर्वाचन :  
 1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।  
 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।  
 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।
13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे।  
 1. सदस्य बनाना और निष्कासित करना।  
 2. वार्षिक बजट तैयार करना।

  
 अध्यक्ष

  
 मन्त्री

  
 कोषाध्यक्ष

3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठक

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन से पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक कोरम में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थिति सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टी आगामी आमसभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(क) अध्यक्ष

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठक आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. सविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(ख) उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

(ग) मंत्री


1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखाना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(घ) उपमंत्री

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य का संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावे।

(ङ) कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान/आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

  
अध्यक्ष

मंत्री

Kaimesh  
कोषाध्यक्ष

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-
1. चन्दा
  2. शुल्क
  3. अनुदान
  4. सहायता
  5. राजकीय अनुदान
- (क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।  
 (ख) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देने सम्भव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकता निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सके।

1. अध्यक्ष.....रुपये
2. मंत्री.....रुपये
3. कोषाध्यक्ष.....रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का समस्त उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखा जोखे का निरीक्षण


रजिस्ट्रार संस्थायें झुन्डूनु को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

22. वित्तीय वर्ष :

संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) जयप्रकाश कृष्ण प्रेमरिण समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

15/2/2010  
 प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्यप्रति है।  
 जयप्रकाश कृष्ण प्रेमरिण समिति  
 विधा 15-6/2010  
 26/2/10

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्यप्रति है।  
 हस्ताक्षर .....  
 हस्ताक्षर .....  
 मकल देन की दिनांक 23.11.06  
 मकल देन की दिनांक 6.12.06  
 मकल देन की दिनांक 6.12.06

  
 अध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाये  
 मुद्रा  
 मंत्री

विभा 2010  
 रजिस्ट्रार संस्थाये  
 Ramlesh  
 कोषाध्यक्ष